

फर्द अहकाम

सरकार बनाम राधेश्याम

न्यायालय

संख्या 133/07

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/9/19	को फर्द उपरो. अदालत हेतु खसप चाहा गया। आज्ञाकारी पेशी पर जन्पत्र नाम दज्ज व नरूप का दस्ता आवश्यक्त का ले हो। पत्रावली वादते अदालत जन्पत्र व नरूप अदालत दिनांक 15/10/19 को पेश हो। <i>Dewji</i>	
	15/10/19	प्रमाणिक ऑफिसर दौरे/अदालत के अंतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/10/19 को पेश हो।	
	23/10/19	वकुलाय फरीडन उपरो. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के मूल वादों में जर्जना-फर्द नाम दज्ज/ लाल स्मार्टी के डर्ज करने का दिनांक 12-4-19 को ही राजस्व मामालय निमावली के नियम 23 के तहत जर्जना पत्र के साथ शपथ-पत्र नहीं देने के खासि उभा जाने से इस पत्रावली में जर्जना-पत्र को अस्वीकार कर खासि विप्रा जातों है। पत्रावली वादते अदालत 12 दिनांक 30/10/19 को पेश हो। <i>Dewji</i>	
	30/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील जाली अनुपस्थित। अज्ञाती खसप 1, 2, 4 व 5 के वारिमान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में मूल वाद खसप 368/06/01 उनवानी कृष्ण कुमार बनाम राधेश्याम वगैरे के अदालत हाजरी व अदालत पेशी में खासि होने से एवं मुकदमा खसप	

Dewji
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौधरी (जयपुर)

फर्द अहकाम
सरकार बनाम राधेश्याम कौं

नाम न्यायालय

केस संख्या 133/67

कस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विरोध दिनांक
		<p>38/66 उनवानी महादेव बनाम राधेश्याम कौं में अपेक्ष न्यायालयों द्वारा वादग्रह भारतीयों के स्वत्व का निर्धारण काडी के पक्ष में होने से अब इस मूल का निर्धारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः इस पत्रावली को इसी स्तर पर जारी की क्रम जारी व क्रम पेंखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभार केक दर्ज नम्बर से क्रम हो तथा दायित्व दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">Seema सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) घौमू (जयपुर)</p>	

